बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 158 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 07 अप्रैल 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

जहांगीरपुरी में नाबालिग की हत्या- रामलीला मैदान में चार युवकों ने धारदार हथियारों से मारा; पुलिस की टीमें गठित

दिल्ली । दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि मरने वाले की पहचान हसमत के तौर पर हुई है, जिसे चाकू के कई वार के बाद बीजेआरएम हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 5 अप्रैल को शाम करीब 6 बजे जहांगीरपुरी के रामलीला मैदान में हुई। एक चश्मदीद और मरने वाले के भाई हकीम ने आरोप लगाया कि दिलशाद, इरफान, इमरान और रिजवान ने मिलकर हसमत पर धारदार हथियारों से हमला किया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना दो परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े की वजह से हुई।

यूसीसी और एक देश-एक चुनाव होगा अगला मिशन, भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने बताया आगे का प्लान

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण और बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपातकाल और कांग्रेस के शासनकाल के दमन से लेकर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राजनीतिक हिंसा तक हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया है, ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके और राष्ट्र की सेवा की जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश जानता है, हर चुनौती का सामना करने के लिए भाजपा ईमानदारी से कोशिश कर रही है, आगे भी करेगी। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा, अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण, कानून बनाकर तीन तलाक पर रोक, सीएए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ऐसे कितने ही काम हैं, जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता और एक देश-एक चुनाव ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा हो रही है।

कई कार्यकर्ताओं ने किया जीवन बलिदान

उन्होंने कहा, भाजपा के कार्यकर्ता जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में कभी पीछे नहीं हटते। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि वे जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उससे भारत का भविष्य बेहतर होगा। यही कारण है कि कार्यकर्ताओं ने हर कठिनाई झेली, चाहे वह आपातकाल हो या कांग्रेस के शासन का दमन। कई कार्यकर्ताओं ने तो अपना जीवन भी बलिदान कर दिया। हमने पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में देखा है, जहां हिंसा को एक राजनीतिक संस्कृति बना दिया गया है।

राजनीतिक संघर्ष के शुरुआती साल

प्रधानमंत्री ने राजनीतिक संघर्ष के शुरुआती वर्षों को याद करते हुए कहा, ÷हम 1984 का वह समय नहीं भूल सकते जब कांग्रेस ने रिकॉर्ड संख्या में सीटें जीती थीं, लेकिन भारत ने यह भी देखा कि उन्होंने लोगों को कैसे धोखा दिया। इससे लोगों का विश्वास भाजपा में बढ़ा और धीरे-धीरे हमने सीटें जीतना शुरू किया।

विचारधाराओं का अंतर

उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाले वैचारिक अंतर पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, उस समय दो विचारधाराएं अस्तित्व में आईं। एक सत्ता-संचालित राजनीति थी, और दूसरी सेवा-संचालित राजनीति।

आरएसएस से प्रेरणा

इसके साथ ही पीएम मोदी ने भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से प्राप्त प्रेरणा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ÷आरएसएस के विशाल और पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे, हमें शुद्ध इरादों और ईमानदारी के साथ राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा मिली। शुरुआती कुछ दशकों में हमने संगठन के लिए नीतियां बनाने में अपनी ऊर्जा समर्पित की। फिर वह समय आया जब भाजपा ने खुद को एक मजबूत कैडर-आधारित पार्टी के रूप में बनाने में पूरी तरह से झोंक दिया। उन्होंने कहा, हमने कार्यकर्ताओं का एक ऐसा विशाल कैडर बनाया जो सेवा की भावना से काम करने के लिए समर्पित था, जिसने पार्टी के सिद्धांतों को अपने जीवन का आदर्श बनाया। जिसने किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया।

दिल्ली में गोदाम से बिक्री पर सख्त रोक, सरकार ने प्रवासी और किरायेदारों को दी है ये बड़ी राहत

नई दिल्ली । दिल्ली सरकार ने पांच किलो एलपीजी सिलिंडरों की उपलब्धता बढ़ाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है। अब ये छोटे सिलिंडर सिर्फ पहचान पत्र दिखाकर आसानी से मिल जाएंगे, पते के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। इससे प्रवासी मजदूरों, किरायेदारों और छोटे परिवारों को फायदा होगा। वहीं, दिल्ली में गोदाम से सीधे सिलिंडर बेचना पूरी तरह अवैध होगा। सरकार ने पूरे शहर में पांच किलो एलपीजी सिलिंडरों की उपलब्धता बढ़ा दी है। इस कदम से उन लोगों तक भी रसोई गैस पहुंचेगी, जो अब तक व्यवस्था से बाहर थे। खासकर प्रवासी मजदूरों और अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिन्हें पहले गैस कनेक्शन लेने में दिक्कत होती थी। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए एचपीसीएल के चुनिंदा आउटलेट्स पर 11 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। यहां लोगों को नजदीकी गैस एजेंसी और सिलेंडर लेने की पूरी जानकारी दी जा रही है। सरकार ने कहा है कि गोदाम से सीधे सिलिंडर बेचना पूरी तरह अवैध होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सभी वितरकों को इस बारे में सख्त निर्देश दिए हैं। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

सप्लाई सामान्य, डिलीवरी तेज

सरकार के मुताबिक दिल्ली में एलपीजी सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है। सरकार ने 4 अप्रैल के आंकड़े बताए हैं। इसदिन 1,14,679 बुकिंग हुई और 1,31,335 सिलिंडर डिलीवर किए गए। डिलीवरी बुकिंग से यादा रही, जिससे साफ है कि पुरानी मांग भी तेजी से पूरी की जा रही है। फिलहाल औसतन 4.24 दिन में सिलिंडर घर पहुंच रहा है। साथ ही शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम 011-23379836, 8383824659 भी चालू किया गया है।

सिलिंडर के लिए घबराएं नहीं – रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग घबराएं नहीं और एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं। सभी सिलिंडर समय पर घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और व्यवस्था पर भरोसा रखने की अपील की है।

थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का मामला: कल अदालत में हाजिर रहें केंद्रीय गृह सचिव, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को मंगलवार को अदालत में पेश होने को कहा है, ताकि थानों में सीसीटीवी लगाने की योजना पर सही तरीके से काम हो सके। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने आज यह आदेश दिया। कोर्ट थानों में सीसीटीवी की कमी पर स्वत- संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने केंद्र की ओर से पेश वकील से हाल में आई एक मीडिया रिपोर्ट के बारे में पूछा। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि एक चीनी कंपनी के बनाए हुए सीसीटीवी कैमरे कई जगह से सुरक्षा कारणों से हटा जा रहे हैं। रिपोर्ट का हवाला देते हुए जस्टिस मेहता ने कहा कि सरकार ने खुद ही निर्देश दिए हैं कि पड़ोसी देश से आए कैमरों को हटाया जाए, क्योंकि वे डाटा रिकॉर्ड करके उसी देश में भेज रहे हैं। बेंच ने पाया, सरकार ने विशेष कैमरों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार की ओर पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने कहा, इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं किया गया है। वरिष्ठ वकील इस मामले में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त हैं। उन्होंने बेंच को बताया कि अधिकांश राज्यों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और वे केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की प्रक्रिया में हैं। जब दवे ने कहा, केरल में सबसे अच्छी व्यवस्था है, तो जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, अगर आप कह रहे हैं कि केरल में सबसे अच्छी व्यवस्था है, तो अन्य राज्य इसका अनुसरण क्यों नहीं कर सकते? बेंच ने कहा, इस पर अधिकारियों को चर्चा करनी चाहिए। एएसजी ठाकरे ने कहा, 60 फीसदी निधि केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है। बेंच को सूचित किया गया कि एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी ने उस बैठक में भाग लिया था, जो उन मुद्दों की व्यवहार्यता, तरीकों और कार्यान्वयन ढांचे पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई थी। बेंच ने असंतोष जताते हुए ठाकरे से कहा, हम आदेश पारित कर रहे हैं और आप बैठक में एक अवर सचिव स्तर के अधिकारी को भेज रहे हैं? इसके बाद ठाकरे ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि बैठक में उच्च स्तर का अधिकारी मौजूद रहेगा। बेंच ने कहा, इस मामले को कल फिर सुनवाई के लिए लाया जाए। भारत सरकार के गृह सचिव कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहें, ताकि इस योजना के कार्यान्वयन में उनसे उचित सहायता ली जा सके। कोर्ट द्वारा इसकी निगरानी की जा रही है।

एक्साइज पॉलिसी केस- जज से बोले केजरीवाल- मैं खुद लड़ूंगा केस; 13 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल ने कहा, मैंने अर्जी दायर की है और इसे रिकॉर्ड पर लिया जाए। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कहा, ये पिछली सुनवाई में, अदालत को बताया गया था कि उन्होंने एक एसएलपी और एक आदेश दायर किया है। इसमें मुख्य न्यायाधीश के इस फैसले को चुनौती दी गई है कि इस मामले को किसी दूसरे न्यायाधीश के सामने सूचीबद्ध न किया जाए।

यह मंच नाटकबाजी के लिए नहीं

एसजी ने कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने आरोप लगाने को ही अपना पेशा बना लिया है। यह संस्था के खिलाफ एक आरोप है, और हमें संस्था का समर्थन करना होगा। एसजी ने कहा कि मामले में पेश हुए प्रतिवादी केजरीवाल और उनकी तरफ से एक अधिवक्ता पेश हुए हैं। अगर वे स्वयं बहस करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें अपने वकील को हटाना होगा और यह स्पष्ट रूप से कहना होगा कि वे अपना मुकदमा स्वयं लड़ेंगे। यह मंच नाटकबाजी के लिए नहीं है। केजरीवाल ने कहा, हाई कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार, कोई याचिकाकर्ता खुद आकर अर्जी दाखिल नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ अदालत के आदेश पर ही किया जा सकता है।

इसके जवाब में पीठ ने कहा कि अदालत मामले पर नोटिस जारी करेगी। एसजी ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। लेकिन इस संस्था के खिलाफ ये आरोप पहली बार लगे हैं। पीठ ने केजरीवाल से पूछा कि क्या आप अपना केस खुद लड़ेंगे? केजरीवाल ने इसके जवाब में कहा, मैं इस अर्जी पर खुद लड़ूंगा। मैं अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करूंगा। अभी तक मैंने किसी को भी अपना वकालतनामा नहीं दिया है। अदालत ने केजरीवाल की अर्जी पर नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली हाई कोर्ट में अपना केस खुद लड़ने की बात कही है। इससे पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोर्ट में खुद दलीलें रख चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हाई कोर्ट पहुंचे।

सीएम रेखा गुप्ता बोलीं - दिल्ली सरकार सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार सफाईकर्मियों की समस्याओं के समाधान की खातिर ठोस और व्यावहारिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और इस दौरान प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी मामलों की समीक्षा करने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का संबंधित विभाग को निर्देश दिया। बयान में कहा गया है कि समुदाय के समक्ष जमीनी चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए, प्रतिनिधियों ने सफाई कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें नियमित करने के साथ-साथ कार्यस्थल सुरक्षा, वेतन संबंधी समस्याओं और अन्य सेवा शर्तों की मांग उठाई। इसके मुताबिक, उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिए, जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, स्थायी रोजगार और उनके काम की प्रकृति के अनुरूप अधिक सम्मानजनक कार्य वातावरण की मांग की गई। वहीं, मुख्यमंत्री ने एक्स पर कहा, दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और व्यवस्थित बनाए रखने में हमारे सफाई कर्मचारियों का निस्वार्थ भाव से किया गया योगदान अत्यंत सराहनीय है। यह सेवा का एक सतत संकल्प है, जो हर दिन दिल्ली के जीवन को सुगम बनाता है। गुप्ता ने कहा कि उनकी हर बात को गंभीरता से लेते हुए उन्हें आश्वस्त किया गया कि सरकार उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और सभी मुद्दों के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि हर सफाई कर्मचारी को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियां मिलें, क्योंकि उनके श्रम और समर्पण से ही दिल्ली आगे बढ़ती है।

भारतीय ओटीटी फिल्म 'हीरामंडी'

इन दिनों भारतीय ओटीटी फिल्म 'हीरामंडी' को लेकर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। वहां का फिल्म जगत और वहां का मीडिया 'हीरामंडी' की पहचान को विकृत करने का आरोप भारतीय फिल्मकारों पर लगा रहा है। पाक-मीडिया का कहना है कि यह लाहौर व 'हीरामंडी' की छवि को बदनाम करने की साजिश है। जाहिर, थोड़ा इसके विस्तार में चलें। कई बार कुछ शेअरों का पहला या दूसरा मिसरा इतना लोकप्रिय हो जाता है कि अपने साथ जुड़े मिसरे के वजूद का पता ही नहीं चलने देता। मसलन एक मिसरा बेहद प्रचलित है, 'यह टेढ़ा करने की चीज़ है, इसे बार-बार देख' इसी मिसरे का दूसरा हिस्सा एक स्थान से जुड़ा है, 'टिब्बी में जलवे जलवा-ए-परवरदिगार देख' अब इसे पूरा पढ़ें तो मामला समझ में आता है- इसी टिब्बी का दूसरा नाम है हीरामंडी। कुछ लोग इसे देह व्यापार से जोड़ते हैं मगर वे शायद इस जगह की तहजीब से कतई परिचित नहीं हैं। बहरहाल, यह भी एक हकीकत है कि 'हीरामंडी' का नाम जुबान पर आते ही अक्सर कुछ लोगों के चेहरों पर शरारत खेलने लगती है। यहां आने वालों में बूढ़े भी शामिल रहते थे और जवान भी। किशोर भी यहां आते थे और कुंवारे भी। यह कहना भी वाजिब न होगा कि हीरामंडी जहां एक ओर ठुमरी, ख्याल और गज़ल- यानी और क्लासिक संगीत की महफिलों का केंद्र रहा है, वहां रावी रोड और टकसाली गेट के रास्ते भट्टी गेट व हीरामंडी की ओर लपकती पैमानों चौड़ा-बग्घियों में सज-धज कर आने वाले महज़ ठुमरी व ख्याल की गायकी के लिए नहीं आते थे। कई लोग चौकचौबंदी, लोहारी मंडी आदि की तरफ से पैदल ही चले आते इस 'सुकून-गाह' की तरफ। मगर यह भी एक हकीकत है कि पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत को सम्भालने, संवारने व संजोने का काम हीरामंडी में ही हुआ। यहां बसने वालियों को फिल्मों व रेडियो में भी खूब तरजीह मिली। 'मेरा सलाम ले जा' जैसे लोकप्रिय गाने को आवाज देने वाले उमराव ज़िया का पता यहीं होता था। जैसे मुगलिया सल्तनत के बाद सिख-साम्राज्य में भी इसका 'सम्मानजनक' रुतबा बरकरार रहा, मगर अंग्रेजों के शासन में थोड़ा उतराव आया। फिर भी पायल और घुंघरुओं की खनक का सिलसिला टूटा नहीं। विभाजन से पहले हीरामंडी की 'बैठकें' अमृतसर के लालाओं की मिजाजपुर्सी के लिए यहां भी जाती थीं। तब की पंजाब असैम्बली के दूरदराज़ से आने वाले मैम्बरान भी, जब सेशन के दिनों में लाहौर आते तो हीरामंडी जाना, उनकी शामों में शुमार रहता। हीरामंडी के साथ जुड़ी अनेक घटनाएं अब भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। इन दिनों पाकिस्तान के एक प्रख्यात चित्रकार एवं पेंटर का नाम भी इन्हीं चर्चाओं में शामिल हो गया था। यह चित्रकार वहीं जन्मा था और अब भी वहीं रहता है। इनमें डक्कलों के नवाब मुहम्मद नवाज खान का किस्सा भी शामिल है। नवाब लाहौर में खुले दिल वाली शख्सियत के रूप में जाना जाता था। उसके देशों में सभी जातियों व धर्मों के लोग शामिल थे। हीरामंडी की गायिकाओं पर खूब दौलत लुटाना उसका शगल था। नवाब की शादी उस समय पंजाब के शिक्षा मंत्री मियां फज़ले-हुसैन की बेटी से हुई थी। मगर औरत और शराब के प्रति उसकी दीवानगी कायम रही। जब जेबें और खज़ाने खाली होने लगे तो नवाब की जायदादें भी धीरे-धीरे कुर्बान होने लगीं। उसी नवाब पर हीरामंडी की 15 वर्ष की शमशाद बाई के कत्ल का आरोप लगा। उसे सेशन अदालत ने मुजरिम करार दिया। अभी हाईकोर्ट में उसकी अपील पर सुनवाई जारी थी कि वह खुद भी चल बसा। वैसे हीरामंडी का शाब्दिक अर्थ है, 'हीरों का बाज़ार'। मगर कहा तो यह भी जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के एक सरदार हीरा सिंह के नाम पर इस क्षेत्र का नामकरण हुआ था। रूमानी शायरों ने इसका ज़िक्र 'बाज़ारे-हुस्न' के नाम से किया है। वैसे इस क्षेत्र में दर्जनभर बाज़ार हैं, लेकिन इन दिनों मुजरों व उनकी आड़ में चलते देह व्यापार की गतिविधियां इस बाज़ारों तक सीमित हैं। इस क्षेत्र को 'शाही-मुहल्ला' के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्बन्ध में एक महिला रिसर्च स्कॉलर फौज़िया सईद ने एक पूरा शोध-प्रबंध भी लिखा है, जो इस क्षेत्र की पीड़ा को भी दर्शाता है। वह लिखती है, 'इस मुल्क में महिला-उत्पीड़न का यह एक प्रामाणिक विवरण है। फौज़िया सईद मिनिसोटा यूनिवर्सिटी से जुड़ी रही हैं और 'उसने मेरे शहर व मेरे मुल्क में महिलाओं के शोषण' को लेकर अनेक तथ्य उजागर किए हैं। जो कुछ यहां होता है, वही भारत के कोलकाता, दिल्ली व मुम्बई में ही होता है। वहां भी 'रैड लाइट' इलाके हैं और देह व्यापार का सिलसिला सैकड़ों बरसों तक जारी रहा। बहरहाल, अब यहां भी जागरूकता आई है। सरकारी दखल का सिलसिला चला है। देह-व्यापार के खिलाफ हर जगह संघर्ष हुए, कानून भी बने, पाबंदियां भी लगीं। ये सिलसिले फिरोजशाह तुगलक के वक्त में भी शुरू हुए थे। बाद में औरंगज़ेब ने भी इस दिशा में पहलकदमी की थी। उसके बाद आज़ाद पाकिस्तान में राष्ट्रपति ज़िया-उल-हक ने भी कुछ सख्त कानून बनाए। मगर अभी भी बंद नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान के मुस्लिम समाज में भी औरत 'पीर' को पेश किए जाने का रिवाज़ था। ऐसी औरत को 'पीर की ऊंटनी' कहा जाता था। एक शर्त यह भी थी कि वह कच्ची उम्र की हो, कुंवारी हो और पीर के साथ सोने के बाद वह किसी और से निकाह नहीं कर सकती थी। उसके लिए एक अलग कमरा दिया जाता था। सोने के लिए एक चटाई मिलती थी और पढ़ने के लिए कुरान की एक प्रति। मगर धीरे-धीरे वक्त बदल रहा है। अब यह सब नहीं चलता, मगर उत्पीड़न व शोषण अब रूप बदलकर जारी है। यह समस्या न तो मज़हब से जुड़ी है, न ही सियासत से और न ही इस्लामी शरीया से। यह विशुद्ध (खालिस) सामाजिक मसला है और ज्यों-ज्यों जागरूकता आएगी, बेहतर दिन करवट ले लेंगे। दरअसल कहानी काफी पुरानी है, मुगलों के दौर में पाकिस्तान की 'हीरामंडी' का नाम 'शाही मोहल्ला' होता था। इसे 'अदब का मोहल्ला' भी कहा जाता था क्योंकि यहां मौजूद तवायफों के कोठे में शाही घरानों के शहज़ादों को अदब-अंदाज़ की शिक्षा जो दी जाती थी। हालांकि बाद में ये उनके मनोरंजन केंद्र बनते गए। फिर इस इलाके में आक्रमण हुआ अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली का और उसके बाद अफगान और उज्बेक देशों से लाई औरतों को यहां रख दिया गया। इसी के साथ यहां 'जिस्मफरोशी' का धंधा शुरू हो गया लेकिन काफी सालों के बाद जब महाराजा रणजीत सिंह ने 'पंजाब स्टेट' की नींव रखी तब इस क्षेत्र

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना का 'मत'

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने भारतीय संविधान में निहित संवैधानिक स्वतन्त्र संस्थाओं को लोकतन्त्र में महती भूमिका को रेखांकित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जिस राजनीतिक अधिकार सम्पन्नता को प्राधिकृत किया गया है उसका संचालन स्थापित संवैधानिक संस्थाओं के 'अराजनैतिक' स्वरूप को बरकरार रखते हुए ही नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में उन्होंने चुनाव आयोग, लेखा महानियन्त्रक व वित्त आयोग जैसी संस्थाओं का नाम लिया और कहा कि इनका कार्य निष्पादन बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के किया जाना बहुत जरूरी है जिससे भारत का लोकतन्त्र सही मायनों में जवाबदेह और जिम्मेदार हो सके। श्रीमती नागरत्ना पटना के राष्ट्रीय विधी विश्वविद्यालय में आयोजित राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला का प्रथम भाषण दे रही थीं। उन्होंने चुनाव आयोग के हर हालत में निष्पक्ष व तटस्थ बने रहने को पूरे लोकतन्त्र के लिए बहुत जरूरी बताया और कहा कि आयोग को अपना कार्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं की परवाह किये बगैर पूरी पवित्रता और निष्ठा के साथ करना चाहिए। उनका मत है कि उपरोक्त इन तीनों संस्थाओं को अपने दायित्वों का निर्वाह चुनावी नतीजों के राजनीतिक प्रभावों से मुक्त रहते हुए करना चाहिए।

न्यायमूर्ति नागरत्ना के अनुसार इन तीनों संस्थाओं का असल कार्यक्षेत्र वहीं से शुरू होता है जहां से राजनीतिक कार्यक्षेत्र की तटस्थता पर सन्देह का प्रारम्भ होता है। जाहिर है कि चुनाव आयोग समेत वित्त आयोग व लेखा महानियन्त्रक के कार्यालय भारत में राजनीतिक प्रशासन तन्त्र के भीतर ही काम करते हैं परन्तु संविधान में इन तीनों संस्थाओं को ही स्वतन्त्र व स्वायत्तशासी का दर्जा दिया गया है जिससे ये अपना कार्य राजनीतिक दलों की बनने वाली किसी भी सरकार से निरपेक्ष रहते हुए बेखौफ होकर कर सकें। इनमें से चुनाव आयोग का सम्बन्ध सीधे आम नागरिकों के साथ रहता है क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदाता बनने का अधिकार यह आयोग ही देता है। ऐसा करके वह अपने उस संवैधानिक दायित्व को निभाता है जिस पर देश का पूरा लोकतन्त्र टिका हुआ है क्योंकि भारत में विभिन्न सरकारों का गठन आम नागरिक ही अपने मताधिकार का प्रयोग करके करता है। यहां यह भी बताना बहुत आवश्यक है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को जो चौखम्भा राज दिया था उसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका के अलावा चुनाव आयोग भी शामिल था। इनमें से न्यायपालिका व चुनाव आयोग सरकार के अंग नहीं बनाये गये थे जिससे भारत में सही अर्थों में लोगों की इच्छा के अनुसार सरकारों का गठन हो सके और ये सरकारें संविधान के अनुरूप ही काम कर सकें।

यह देखने का कार्य मूल रूप से न्यायपालिका को दिया गया था। अतः न्यायमूर्ति नागरत्ना का यह कहना कि आधारभूत तरीके से स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाओं की तटस्थता संविधान में निहित है, पूरी तरह शाश्वत सत्य है परन्तु जहां तक विशिष्ट रूप से चुनाव आयोग का सम्बन्ध है तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के कार्यकलापों को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों में भारी रोष है जिसकी वजह से उन्होंने संसद के दोनों सदनों में उन्हें पदमुक्त करने का प्रस्ताव भी दाखिल कर रखा है।

हम सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से पूरे देश में मतदाता सूचियों की पुनरीक्षण कराने का फैसला किया, उसकी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों में भारी बेचैनी है जिसकी वजह से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक में पहुंचा परन्तु न्यायमूर्ति नागरत्ना के विचार भारतीय लोकतन्त्र की उस मूलभूत व्यवस्था को लेकर है जिसकी स्थापना संविधान में लोकमूलक प्रशासन की गरज से की गई है। वित्त आयोग की भूमिका के बारे में उनका यह मत कि वित्तीय निर्भरता राजनीतिक निर्भरता को जन्म दे सकती है, अतः वित्त आयोग को अपना कार्य राज्यों की राजनीतिक संरचना से निरपेक्ष रहते हुए ही करना चाहिए, हर तरीके से तार्किक है क्योंकि वित्त या अर्थ और राजनीति व्यावहारिक दुनिया में एक-दूसरे से बंधे हुए ही होते हैं। इसकी वजह यह है कि भारत के संसदीय ढांचे में विभिन्न राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनकी राजनीतिक वरीयताएं राष्ट्रीय चुनावों से पूरी तरह भिन्न होती हैं जिसकी वजह से हम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें भी देखते हैं। आज भी भारत के दस राज्यों में गैर भाजपा दलों की सरकारें काबिज हैं जबकि केन्द्र में पिछले तीन चुनावों से भाजपा की सरकार चल रही है। अतः इस विविधीकृत राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में राज्यों के समुचित विकास के लिए पर्याप्त धन स्रोतों की सुलभता से बंधा वित्त आयोग अपना दायित्व पूर्णतः निष्पक्ष व तटस्थ होकर तभी निभा पायेगा जब वह राजनीतिक आग्रहों से मुक्त रहेगा। इसी प्रकार लेखा महानियन्त्रक का कार्यालय भी राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र की सीमाओं से परे जाकर ही अपना कार्य पूर्ण पवित्रता व निष्ठा के साथ कर सकेगा। अतः न्यायमूर्ति नागरत्ना का यह कहना कि स्वतन्त्र संवैधानिक संस्थाओं की तटस्थता को नजरअन्दाज करके हम संवैधानिक वैधता को कायम नहीं रख सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो संवैधानिक ढांचे के सही सलामत रहने के बावजूद संवैधानिक व्यवस्था चरमरा सकती है जबकि हमारे संवैधानिक अधिकार भी बाकायदा बने रहते हैं। ऐसा इन संस्थाओं के खोखलेपन की वजह से ही होता है। उनके अनुसार हमारे संविधान में जो संस्थागत ढांचा खड़ा किया गया है वह शक्तियों के सम्यक बंटवारे के आधार पर इस प्रकार है जिससे समस्त अधिकार एक ही स्थान पर केन्द्रीभूत होकर न रहें क्योंकि बिना सत्ता के विकेन्द्रीकरण के ताकत पर अंकुश नहीं लग सकता है और बिना अंकुश के कोई भी संविधान नागरिक स्वतन्त्रता व उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकता। अतः लोकतन्त्र में संवैधानिक संस्थागत ढांचे का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है।

सम्पादकीय...

मुद्दा- दिमाग को इतना भी आराम न दें, कहीं तकनीक न कर दे कुंद

डॉ. एडवर्ड मोजर न्यूरो साइंटिस्ट हैं। अपने महत्वपूर्ण काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने हाल ही में बताया कि जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के कारण मनुष्य के दिमाग की वह क्षमता खत्म होती जा रही है, जिससे वह रास्ते तलाशता था, उनकी एक छवि या नक्शे को अपने दिमाग में सेव कर लेता था, जिससे कि अगली बार उस रास्ते तक आसानी से पहुंचा जा सके। डॉ. एडवर्ड की बात में दम है। आपने देखा होगा कि जब आप कैब में जाते हैं, तो कैब वाला आपसे लोकेशन शेयर करने को कहता है। उसी हिसाब से गूगल मैप के जरिये रास्ते को तलाशता है, जबकि पहले के ड्राइवरों को रास्ते याद रहते थे। इसी तरह कोई ऑटो वाला हो, या फिर किसी को घर आना हो, सभी को लोकेशन चाहिए। रास्तों को पहचानने और उन्हें याद करने की कोशिश दिखाई नहीं देती। पहले तो किसी पेड़, कुएं, विद्यालय, दुकान, पार्क आदि के लैंडमार्क (निशान) को याद करके हम अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच जाते थे। कुछ दिन पहले मैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बारे में पढ़ रही थी कि एक बार भारत में उन्हें किसी मित्र ने रात के खाने पर बुलाया। वह वहां जाने के लिए जीपीएस के जरिये घर ढूंढते रहे, लेकिन नहीं पहुंच सके। जब पहुंचे, तो बहुत देर हो चुकी थी। घर के लोग खाना खाकर सो चुके थे। इसलिए, उन्होंने गूगल मैप के विकास की योजना बनाई। एक बार गूगल मैप की महत्ता बताने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था कि अब कोई भी स्थान ढूंढना कितना आसान है। हालांकि, बहुत-सी ऐसी घटनाएं भी पढ़ी हैं, जहां गूगल मैप ने गलती की और लोगों की जान पर बन आई। तकनीक हमारे जीवन को सरल जरूर बनाती है, लेकिन वह हमारे दिमाग की प्राकृतिक क्षमता को कम भी करती है। एक बार एक परिजन ने कहा था कि लैंडलाइन के जमाने में उन्हें सैकड़ों नंबर मुंह-जबानी याद थे। कभी फोन डायरेक्टरी या उस डायरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिसमें फोन नंबर्स दर्ज होते थे। लेकिन अब मोबाइल में नंबर सेव हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हें एक क्लिक से निकाला जा सकता है, इसलिए याद रखने की आवश्यकता नहीं। कई साल पहले एक सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी। सब्जी वाला दाम बताता जाता और वह लेखिका उंगलियों पर हिसाब लगाती जाती। अपना हिसाब ठीक है, यह जानने के लिए सब्जी वाले से पूछा कि कितने पैसे हुए, उसने फौरन कैलकुलेटर निकाला और हिसाब लगाकर बताया। उससे पूछा कि बिना इसके हिसाब नहीं लगा सकते, तो उसने हंसकर कहा, 'आंटी जी, क्यों दिमाग लगाऊं, जब इससे आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है।' पिछले ही दिनों साइबर कैफे में कुछ काम कराने गई, वहां हिसाब लग रहा थी कि कैफे में काम करने वाला लड़का कैलकुलेटर पकड़ने लगा। उससे कहा कि यों ही हिसाब लगा लूंगी। इन दिनों हर दुकानदार के पास कैलकुलेटर है, यानी कि लोग उंगलियों पर हिसाब लगाना भूल चुके हैं। मामूली जोड़-घटाव भी आसानी से नहीं कर सकते, जबकि हमारी पीढ़ी या उससे पहले वाली अनेक पीढ़ियां यह हिसाब बिना किसी तकनीकी मदद के लगा सकती थीं। लोगों को सवा और ढाई तक के पहाड़े याद थे। अब तो यहां तक है कि बच्चे इम्तिहान के दिनों में गणित के पेपर के दौरान भी कैलकुलेटर मांगते हैं।

लोकतंत्र की परीक्षा या आंतरिक अनुशासन

हाल ही में आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और पार्टी नेतृत्व के बीच खुला विवाद सामने आया। 2 अप्रैल को पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर चड्ढा को पार्टी के उपनेता पद से हटाने और उनकी जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नियुक्त करने की सूचना दी। साथ ही पार्टी ने अनुरोध किया कि चड्ढा को पार्टी की ओर से बोलने का समय न दिया जाए। अगले दिन चड्ढा ने 'साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड' शीर्षक से एक वीडियो जारी कर जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि वे हमेशा आम आदमी के मुद्दे उठाते रहे लेकिन पार्टी उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। यह घटना पार्टी के आंतरिक मतभेदों को सार्वजनिक रूप से उजागर करती है और सवाल उठाती है कि क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या सख्त अनुशासन का मामला। राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे लेकिन पिछले एक साल से रिश्तों में दरार दिखने लगी थी। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान चड्ढा विदेश में आंखों की सर्जरी करा रहे थे और पार्टी के कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहे। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हालिया छूट मिलने पर भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा बयान नहीं दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से विचलन माना गया। वहीं चड्ढा ने संसद में हवाई अड्डों पर महंगी खाने, डिलीवरी पार्टनर्स की समस्याएं, टोल प्लाजा और बैंक चार्जेस, गिग वर्कर्स के अधिकार जैसे मुद्दे उठाए, जिन्हें उन्होंने 'आम आदमी' के हितों से जोड़ा लेकिन पार्टी ने इन्हें 'सॉफ्ट पीआर' करार दिया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस विवाद पर बयान भी दिए। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चड्ढा बीजेपी से डरते हैं, विरोधी दलों के वॉकआउट में शामिल नहीं होते और पंजाब के मुद्दों पर चुप रहते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें 'कम्प्रोमाइज्ड' बताया और कहा कि जब पार्टी एमएसपी या केंद्र से फंडिंग जैसे बड़े मुद्दे उठाती है तब चड्ढा छोटे-छोटे मुद्दों पर फोकस करते हैं। आतिशी और अनुराग धंडा ने भी यही स्वर दोहराया कि संसद में सीमित समय में 'समोसे सस्ते' जैसे विषयों पर बोलना राष्ट्रहित से दूर है। पार्टी का तर्क है कि एक छोटी पार्टी के पास संसद में बोलने का सीमित कोटा होता है, इसलिए उसे केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए न कि 'सॉफ्ट' मुद्दों पर। इस पर चड्ढा ने अपने वीडियो में इन आरोपों का सीधा जवाब दिया। उन्होंने पूछा, 'क्या आम आदमी के मुद्दे उठाना अपराध है, मैंने हवाई अड्डे के खाने की महंगाई, गिग वर्कर्स की दुर्दशा, अशुद्ध भोजन और लूट-खसोट के मुद्दे उठाए जिससे आम आदमी को फायदा हुआ। पार्टी को इससे क्या नुकसान हुआ'। उन्होंने पार्टी को चेतावनी दी, मेरे मौन को हार मत समझिए। मैं वह नदी हूं जो समय आने पर बाढ़ बन जाती है। यह बयान न केवल व्यक्तिगत दर्द जाहिर करता है, बल्कि पार्टी में असहमति के अधिकार पर भी सवाल खड़ा करता है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया ने इस विवाद को और भी रंग दिया है। भाजपा ने इसे आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला बताया लेकिन चड्ढा को बोलने से रोकने को 'अत्यधिक आपत्तिजनक और तानाशाही' करार दिया। कांग्रेस ने इसे पार्टी में दरार का सबूत माना। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वाड़िंग ने कहा कि चड्ढा पहले से ही पार्टी से 'अलग' दिखते थे, खासकर केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय उनकी अनुपस्थिति को देखते हुए। कुछ कांग्रेस नेताओं का अनुमान है कि चड्ढा पार्टी छोड़कर कहीं और जा सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी की एकता पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर, विपक्षी दलों ने इस घटना को पार्टी की कमजोरी के रूप में पेश किया है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि चड्ढा पार्टी की आक्रामक एंटी-बीजेपी रणनीति से सहमत नहीं हैं। वे ज्यादा मुद्दा-आधारित और कम व्यक्तिगत हमले वाले रुख अपनाते रहे, जो आम आदमी पार्टी की मौजूदा जरूरत 'केंद्र सरकार पर सीधा हमला' से मेल नहीं खाता। दूसरी अटकल यह है कि चड्ढा की बढ़ती लोकप्रियता और मीडिया कवरेज केजरीवाल के लिए खतरा बन गई। स्वाती मालीवाल जैसी पिछली घटनाओं की घटना की याद दिलाते हुए कुछ राजनैतिक पंडित कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में 'केजरीवाल से ज्यादा चमक' बर्दाश्त नहीं की जाती। अनुशासन और पंजाब-केंद्रित रणनीति भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि चड्ढा पंजाब से सांसद हैं लेकिन पंजाब के बड़े मुद्दों जैसे एमएसपी पर कम सक्रिय रहे।

कुछ स्रोतों का दावा है कि चड्ढा को बीजेपी 'प्रमोट' कर रही है या वे स्वतंत्र रूप से राजनीति करने की सोच रहे हैं। हालांकि, इनमें से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। पार्टी ने इसे 'रूटीन संगठनात्मक बदलाव' बताया है लेकिन टाइमिंग और बोलने पर रोक ने संदेह बढ़ा दिया है। देखा जाए तो यह एक संसदीय लोकतंत्र में पार्टी अनुशासन बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है। क्या एक सांसद को पार्टी कोटा से बोलने का अधिकार पार्टी नेतृत्व के विवेक पर निर्भर होना चाहिए, संविधान और संसदीय परंपरा में सांसद पार्टी से कहीं ज्यादा जनता का प्रतिनिधि है। लेकिन वास्तविकता में व्हिप और पार्टी लाइन बाध्यकारी हैं। आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी जो स्वयं 'स्वराज' और पारदर्शिता का नारा देती रही, यह घटना उसके सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। इसके साथ ही पार्टी की आंतरिक संरचना पर भी कई सवाल उठते हैं। केजरीवाल-केंद्रित पार्टी में असहमति को कैसे हैंडल किया जाता है, पार्टी बनने के समय जो-जो बड़े व चर्चित चेहरे केजरीवाल के साथ थे वे एक-एक करके अलग हुए। अब राघव चड्ढा जैसी घटनाएं पार्टी की 'एकता' की छवि को धक्का पहुंचाती हैं। आम आदमी पार्टी जैसे दलों को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत रहने के लिए आंतरिक एकता जरूरी है। चड्ढा जैसे युवा शिक्षित और मीडिया-सेवी नेता पार्टी की छवि को आधुनिक बनाते थे। उनका साइडलाइन होना युवा नेताओं को निरुत्साहित कर सकता है। चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए वे वाकई आम आदमी से जुड़े थे, महंगाई, श्रमिक अधिकार, उपभोक्ता शोषण। लेकिन राजनीति में संसद सीमित समय में प्राथमिकता 'बड़े राजनीतिक हमले' को दी जाती है। क्या यह 'सॉफ्ट' बनाम 'हार्ड' पॉलिटिक्स का टकराव है, दोनों पक्षों में सच्चाई तो है, एक तरफ पार्टी की रणनीतिक जरूरत, दूसरी तरफ संसद को जन-समस्याओं का मंच बनाने का प्रयास। इस विवाद से भारतीय राजनीति को दो सबक मिलते हैं। पहला, कोई भी पार्टी कितनी भी लोकप्रिय क्यों न हो, आंतरिक लोकतंत्र के बिना टिक नहीं सकती। दूसरा, संसद में सांसदों की आवाज को पार्टी हित से ऊपर रखने की जरूरत है। राघव चड्ढा का भविष्य अनिश्चित है। वे पार्टी में रहकर संघर्ष कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं या स्वतंत्र रूप से जन-मुद्दों पर बोलते रह सकते हैं। पार्टी के लिए यह आत्म-चिंतन का अवसर है। अगर पार्टी अपनी छवि 'आम आदमी' की रखना चाहती है तो उसे अपने सांसदों की जन-केन्द्रित आवाज को दबाने के बजाय मजबूत करना चाहिए। दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। जनता देख रही है कि क्या आम आदमी पार्टी अपनी स्थापना के सिद्धांतों पर खरी उतरती है या सत्ता के खेल में फंस जाती है।

ईरान ने कैसे गिराया अमेरिकी विमान? अमेरिका ने कैसे बचाए अपने पायलट? ये रहे सवालों के जवाब

नीरज कुमार दुबे।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद साहसिक और जटिल बचाव अभियान ने वैश्विक स्तर पर ध्यान खींचा है। ईरान के भीतर गिराए गए एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के दो चालक दल सदस्यों को निकालने के लिए चलाया गया यह अभियान आधुनिक युद्ध रणनीति, गुप्त संचालन और जोखिम भरे फैसलों का अनोखा उदाहरण बन गया है। हम आपको बता दें कि शुक्रवार को ईरान के इस्फहान प्रांत के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी लड़ाकू विमान को ईरानी हमले में निशाना बनाया गया। विमान के दो पायलट समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन वह दुश्मन के इलाके में अलग अलग स्थानों पर उतर गए। पहले पायलट को कुछ ही घंटों में सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे सदस्य यानी हथियार विशेषज्ञ को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

यह अभियान केवल एक सामान्य बचाव मिशन नहीं था, बल्कि इसमें खुफिया एजेंसियों, विशेष बलों और अत्याधुनिक तकनीक का समन्वय देखने को मिला। अमेरिकी विशेष बलों ने रात के अंधेरे में ईरान के भीतर गहराई तक प्रवेश किया। लगभग दो हजार एक सौ मीटर ऊंची पहाड़ी पर छिपे घायल अधिकारी तक पहुंचकर उसे सुरक्षित स्थान तक लाया गया। हालांकि मिशन के बीच में एक बड़ा संकट भी आया। जिन परिवहन विमानों के जरिए लगभग सौ विशेष बलों को इलाके में पहुंचाया गया था, उनमें तकनीकी खराबी आ गई और वे उड़ान भरने में असमर्थ हो गए। इससे सैनिकों के दुश्मन इलाके में फंसने का खतरा पैदा हो गया। ऐसे में कमांडरों ने जोखिम भरा फैसला लेते हुए अतिरिक्त विमानों को भेजने का आदेश दिया। कुछ घंटों की तनावपूर्ण प्रतीक्षा के बाद अंततः सभी सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से बाहर निकाल लिया गया। साथ ही इस दौरान अमेरिकी सेना ने अपने दो परिवहन विमानों और चार हेलीकॉप्टरों को खुद ही नष्ट कर दिया ताकि वह ईरान के हाथ न लग सकें। यह फैसला इस मिशन की गंभीरता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। घायल अधिकारी की जीवित रहने की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बाहर निकलने के बाद वह पहाड़ों में छिप गया और एक दरार में शरण ली। उसके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन विशेष प्रशिक्षण के कारण वह खुद को बचाने में सफल रहा। बाद में उसने सुरक्षित तरीके से अमेरिकी सेना से संपर्क स्थापित किया, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हो सकी और बचाव अभियान आगे बढ़ाया जा सका। हम आपको बता दें कि अमेरिकी पायलटों को दुश्मन के इलाके में फंसने की स्थिति के लिए जो विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, उसे सामान्यतः सेरे प्रशिक्षण कहा जाता है, जिसका अर्थ है सर्वाइवल, एवेजन, रेसिस्टेंस और एस्केप यानी जीवित रहना, दुश्मन से बचना, गिरफ्तारी की स्थिति में प्रतिरोध करना और मौका मिलने पर निकल भागना। इस प्रशिक्षण में पायलटों को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में खुद को जिंदा रखने की कला सिखाई जाती है, जैसे पानी ढूंढना और शुद्ध करना, अस्थायी आश्रय बनाना, सीमित संसाधनों में भोजन जुटाना और प्राथमिक उपचार करना। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि दुश्मन की नजर से कैसे बचा जाए, जैसे जमीन के करीब रहना, छिपने के तरीके अपनाना, रात का उपयोग करना और सुरक्षित संचार उपकरणों के जरिए अपने स्थान की जानकारी देना। प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानसिक मजबूती विकसित करना होता है, जिसमें पायलटों को पूछताछ या बंदी बनाए जाने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत सीमित जानकारी देना, दबाव का सामना करना और दुश्मन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से बचना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें भागने की योजना बनाना, रास्तों की पहचान करना और बचाव दल से संपर्क स्थापित करने की रणनीतियां भी सिखाई जाती हैं। कुल मिलाकर यह प्रशिक्षण पायलटों को इस लायक बनाता है कि वह अकेले, घायल या संसाधनहीन होने पर भी दुश्मन के इलाके में लंबे समय तक जीवित रह सकें और सही समय पर सुरक्षित वापस लौटने की संभावना बनाए रखें।

अमेरिका की रणनीति

हम आपको यह भी बता दें कि ईरान की ओर से भी इस दौरान व्यापक स्तर पर खोज अभियान चलाया गया था। स्थानीय लोगों से अपील की गई कि यदि उन्हें कोई दुश्मन पायलट दिखे तो उसे पकड़कर अधिकारियों को सौंपें। इनाम की घोषणा भी की गई, जिससे इलाके में खोज और तेज हो गई। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस बीच एक भ्रम फैलाने वाली रणनीति अपनाई। ईरान के भीतर यह संदेश फैलाया गया कि लापता अधिकारी को पहले ही ढूंढ लिया गया है और उसे कहीं और ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी सेना ने इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को बाधित किया और कुछ प्रमुख रास्तों पर हमले किए ताकि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र तक न पहुंच सके। इस मिशन के दौरान अमेरिकी हेलीकॉप्टरों पर भी हमला हुआ।

दो हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा, लेकिन वे किसी तरह सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे। दूसरी ओर, ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिकी अभियान को पूरी तरह विफल कर दिया और कई विमानों को मार गिराया। ईरानी मीडिया में जले हुए विमान के मलबे और धुएं की तस्वीरें भी दिखाई गईं।

हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने अपने उपकरण खुद नष्ट किए ताकि वे दुश्मन के हाथ न लगें। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों देशों के बीच सूचना युद्ध भी साफ दिखाई देता है, जहां हर पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि इस संघर्ष में अब तक अमेरिका के तेरह सैनिकों की मौत हो चुकी है और तीन सौ से अधिक घायल हुए हैं, लेकिन किसी भी सैनिक को बंदी नहीं बनाया गया है।

ईरान ने कैसे गिराया अमेरिकी विमान?

जहां तक ईरान द्वारा इस्फहान प्रांत के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान को मार गिराने की बात है तो इस बारे में आपको और जानकारी देते हुए बता दें कि यह हमला किसी एक साधारण हथियार से नहीं, बल्कि उन्नत वायु रक्षा प्रणाली के संयोजन से किया गया हो सकता है। कई रिपोर्टों में संकेत मिला है कि ईरान ने अपने स्वदेशी «बड़ खोरदाद» नामक मध्यम दूरी के सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया, जो पहले भी उन्नत विमानों को निशाना बनाने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कुछ खुफिया आकलनों में यह भी कहा गया कि ईरान ने रूसी मूल के कंधे पर रखकर दागे जाने वाले आधुनिक मिसाइल सिस्टम (मैनपैड्स), जैसे वेरबा प्रकार, का इस्तेमाल किया होगा, जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को आसानी से निशाना बना सकते हैं और पारंपरिक रडार चेतावनी प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम होते हैं।

इसके अलावा «पैसिव इंफ्रारेड ट्रैकिंग» तकनीक का भी उल्लेख मिलता है, जो बिना रडार सिग्नल छोड़े विमान की गर्मी या गति को ट्रैक करती है, जिससे पायलट को खतरे का अंदाजा देर से होता है। हम आपको यह भी बता दें कि ऐसी वायु रक्षा तकनीक आज केवल ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस, चीन, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे कई देशों के पास उन्नत सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। रूस के एस 300 और एस 400, अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम, इजराइल के आयरन डोम और डेविड स्लिंग तथा चीन के एचक्यू सीरीज जैसे सिस्टम इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा मैनपैड्स तकनीक भी कई देशों के पास है, जिससे छोटे और मोबाइल यूनिट्स भी बड़े लड़ाकू विमानों के लिए खतरा बन जाते हैं। कुल मिलाकर यह घटना दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में उन्नत वायु रक्षा प्रणाली और सेंसर आधारित तकनीकें किसी भी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान को भी गंभीर खतरे में डाल सकती हैं। बहरहाल, यह पूरी घटना केवल एक लड़ाकू विमान को मार गिराने या एक पायलट को बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप की स्पष्ट झलक पेश करती है। एक ओर जहां उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां दुनिया की सबसे ताकतवर वायु सेनाओं को चुनौती दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर विशेष प्रशिक्षण, खुफिया रणनीति और त्वरित निर्णय क्षमता जीवन और मृत्यु के बीच फर्क तय कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच यह टकराव यह भी दिखाता है कि आने वाले समय में युद्ध केवल हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि तकनीक, सूचना और रणनीतिक चतुराई के संतुलन से जीते जाएंगे। ऐसे में यह घटना वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन बनकर उभरेगी और यह सवाल भी छोड़ेगी कि क्या भविष्य के युद्ध और भी अधिक जटिल और अप्रत्याशित होने वाले हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने वन्दना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैनटागना एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/00862)

बंगाल फतह मिशन में कुशीनगर के विधायक पी.एन. पाठक को मिली बड़ी जिम्मेदारी

कुशीनगर।

पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। इस चुनाव में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार को चुनौती देने के लिए व्यापक रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। भाजपा ने इस चुनाव को निर्णायक बनाने के उद्देश्य से देशभर से अनुभवी नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उत्तर प्रदेश से जहां तीन कैबिनेट मंत्री चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं कुशीनगर के विधायक पी.एन. पाठक को विशेष रूप से एक पूरे जनपद की सभी विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं, फिर भी पार्टी नेतृत्व ने उनकी संगठनात्मक क्षमता, राजनीतिक अनुभव और रणनीतिक समझ पर भरोसा जताते हुए उन्हें यह अहम दायित्व सौंपा है। यह जिम्मेदारी न केवल उनके प्रति पार्टी के विश्वास को दर्शाती है, बल्कि उनकी राजनीतिक पकड़ और कार्यशैली का भी प्रमाण है। वर्तमान समय में भाजपा बंगाल में टिकट वितरण, जनसंपर्क अभियान और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में पूरी ताकत से जुटी हुई है। पार्टी अपनी नीतियों, केंद्र सरकार की उपलब्धियों और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने में सक्रिय है। विधायक पी.एन. पाठक ने दूरभाष पर बातचीत में कहा कि वे अपने जिम्मे दिए गए सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को जीत दिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव परिणाम पार्टी के पक्ष में होंगे और पश्चिम बंगाल में भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश से सीमित लेकिन प्रभावशाली भागीदारी के बीच कुशीनगर के विधायक पी.एन. पाठक को मिली यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके राजनीतिक कद को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाती नजर आ रही है।

अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने जय कुमार त्रिपाठी ' बाबा' को बनाया जिलाध्यक्ष

कुशीनगर। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा कुशीनगर जनपद में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से जारी पत्र के अनुसार, जय कुमार त्रिपाठी उर्फ 'जय बाबा' को कुशीनगर का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष पं. हरिशाम बाबू मिश्र द्वारा जारी मनोनयन पत्र में आशा एवं विश्वास व्यक्त किया गया है कि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करते हुए महासभा को सक्रिय एवं सशक्त बनाएंगे। पत्र में कहा गया है कि जय कुमार त्रिपाठी संगठन के विस्तार, समाज में समरसता बढ़ाने तथा समाजहित के कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही उनसे अपेक्षा की गई है कि वे संगठन को जिले में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य करेंगे। इस मनोनयन से संगठन के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने जय कुमार त्रिपाठी 'जय बाबा' को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत जीआरपी भटनी ने महिलाओं व बालिकाओं को किया जागरूक

रेलवे स्टेशन पर चलाया गया जागरूकता अभियान, सरकारी योजनाओं व हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी

भटनी देवरिया।

थाना जीआरपी भटनी द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन भटनी पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक रेलवे गोरखपुर लक्ष्मीनिवास मिश्र के निर्देश पर तथा पुलिस उपाधीक्षक सविरत्न गौतम के कुशल नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 108 एंबुलेंस सेवा, 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 181 महिला हेल्पलाइन और 101 अग्निशमन सेवा के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर जीआरपी थानाध्यक्ष अजय कुमार मौर्या, कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल मौजूद रहे और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया।

सिहुलिया विद्यालय में नवारम्भ वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न, मेधावियों का हुआ सम्मान

कुशीनगर। विकास खंड सुकरौली के ग्राम सभा सिहुलिया स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में नवारम्भ वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को टी-शर्ट, आई-कार्ड, प्रमाणपत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।

इस अवसर पर एआरपी आरती गुप्ता एवं एआरपी बलराम सिंह का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक अध्यापिका ऋचा सिंह ने किया। समारोह में समाजसेवी पप्पू पाल द्वारा बच्चों को टी-शर्ट एवं आई-कार्ड वितरित किए गए, जिससे विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शशिकला ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरस्कार बच्चों के कठिन परिश्रम और समर्पण का परिणाम होते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सहायक अध्यापिका मीना सिंह ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चे कोरे कागज की तरह होते हैं, जिन्हें सही दिशा देने की जिम्मेदारी शिक्षक और अभिभावक दोनों की होती है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, इसलिए उन्हें शिक्षा से वंचित न रखें। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने नृत्य, नाटक और संगीत के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देवकीनंदन चौरसिया ने अपने संबोधन में बच्चों और शिक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय के मेधावी छात्र क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे और अपने बच्चों को सम्मानित होते देख गर्व महसूस किया। समारोह के अंत में सभी पुरस्कृत विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित किया गया तथा राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

डीएम दिव्या मित्तल ने क्यूआर कोड व फोटो सत्यापन से पारदर्शिता सुनिश्चित की, 16 ब्लॉकों से बसों से लाए गए लाभार्थी

देवरिया। भारत सरकार की एडीआईपी एवं राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सोमवार को आईटीआई परिसर में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में 1631 दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों को 2.17 करोड़ रुपये की लागत के कुल 2033 सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल 192, ट्राइसाइकिल 533, व्हीलचेयर 275, हियरिंग एड 514, वॉकिंग स्टिक 354, स्मार्ट केन 109 तथा टीएलएम किट 56 सहित कुल 2033 सहायक उपकरण लाभार्थियों को प्रदान किए गए। ये उपकरण दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि बी.एल. वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह शिविर सेवा, संवेदना और संकल्प का प्रतीक है तथा दिव्यांगजनों को दया नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार के साथ मुख्यधारा में लाने का कार्य किया जा रहा है। जनपद के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि सहायक उपकरण दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मनिर्भरता का नया संचार करेंगे। सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी एवं सलेमपुर सांसद रामशंकर विद्यार्थी ने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। इस अवसर पर एमएलसी प्रतिनिधि, नगरपालिका बरहज की चेयरमैन श्वेता जायसवाल एवं ब्लॉक प्रमुख पथरदेवा सुब्रत शाही सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया कि एलिम्को के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड एवं फोटो सत्यापन की व्यवस्था की गई। 16 विकास खंडों से बसों के माध्यम से लाभार्थियों को लाया गया, जहां पेयजल, भोजन, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

सेहत की बात - साइलेंट किलर है डायबिटीज, आंखों की रोशनी बचाने को फंडस टेस्ट अनिवार्य

देवरिया।

एसजीपीजीआई की विशेषज्ञ डॉ. शिवानी चतुर्वेदी की चेतावनी- देश के 90 फीसदी मरीजों ने कभी नहीं कराई रेटिना की जांच,अंधेपन का बढ़ रहा खतरा

डायबिटीज यानी मधुमेह को सामान्यतः लोग केवल रक्त शर्करा के उतार-चढ़ाव तक सीमित मान लेते हैं, लेकिन यह लापरवाही आंखों की रोशनी के लिए घातक साबित हो रही है। देश में बढ़ते शुगर के मरीजों के बीच सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि लगभग 90 प्रतिशत मरीजों ने कभी अपनी आंखों का फंडस टेस्ट नहीं करवाया है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, यह अनभिज्ञता भविष्य में स्थायी अंधेपन का सबसे बड़ा कारण बन सकती है।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) के नेत्र विभाग की सीनियर रेजिडेंट डॉ. शिवानी चतुर्वेदी के अनुसार, डायबिटीज के कारण होने वाली डायबिटिक रेटिनोपैथी (DR) एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन अंदर ही अंदर रेटिना की सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। आमतौर पर चश्मे का नंबर चेक कराने को ही लोग संपूर्ण नेत्र जांच मान लेते हैं, जबकि फंडस एग्जामिनेशन इससे पूरी तरह भिन्न है। डॉ. चतुर्वेदी स्पष्ट करती हैं कि इस परीक्षण के जरिए आंख के पिछले हिस्से, जिसमें रेटिना, ऑप्टिक डिस्क और ब्लड वेसल्स शामिल हैं, की सूक्ष्मता से जांच की जाती है। अनियंत्रित शुगर की स्थिति में रेटिना की नसें टूटने लगती हैं, जिससे दृष्टि स्थायी रूप से जा सकती है। चिंताजनक स्थिति यह है कि जब तक मरीज को धुंधलापन महसूस होता है, तब तक बीमारी काफी गंभीर चरण में पहुंच चुकी होती है। आईसीएमआर की 2018 की गाइडलाइंस के अनुसार, टाइप-2 डायबिटीज की पुष्टि होते ही मरीज को तत्काल फंडस टेस्ट कराना चाहिए, ताकि शुरुआती नुकसान का पता लगाया जा सके।

बढ़ते आंकड़े और जागरूकता का अभाव

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को रेखांकित करते हैं। एनएफएचएस और आईसीएमआर के डाटा बताते हैं कि देश में लगभग 16.9 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 20.7 प्रतिशत डायबिटीज रोगी पहले से ही डायबिटिक रेटिनोपैथी की चपेट में हैं। इतनी भयावह दर के बावजूद 89.9 प्रतिशत मरीजों का फंडस टेस्ट से दूर रहना जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। डॉ. शिवानी चतुर्वेदी का मानना है कि इस लापरवाही के पीछे केवल जानकारी की कमी है। लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि मधुमेह केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक सिंड्रोम है जो शरीर के अंगों को साइलेंट किलर की तरह खोखला करता है।

नियमित जांच ही एकमात्र बचाव का मार्ग

भविष्य की संभावनाओं और उपचार की सुलभता पर विचार करें तो राहत की बात यह है कि समय पर की गई जांच से 90 प्रतिशत मामलों में अंधेपन को रोका जा सकता है। फंडस एग्जामिनेशन एक सरल, पीड़ा रहित और किफायती प्रक्रिया है, जो किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर बड़े संस्थानों तक उपलब्ध है। जिन मरीजों की शुगर नियंत्रित है, उन्हें दो साल में एक बार और जिनका शुगर लेवल अस्थिर रहता है, उन्हें वर्ष में कम से कम एक बार यह जांच अनिवार्य रूप से करानी चाहिए। चिकित्सा जगत का मानना है कि यदि समाज में इस टेस्ट के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, तो भारत को डायबिटिक ब्लाइंडनेस की राजधानी बनने से बचाया जा सकता है।

पवन खेड़ा का हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर तीन पासपोर्ट रखने का आरोप

नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस ने एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह की झूठी जानकारी के आधार पर उनकी पत्नी के कई पासपोर्ट होने और दुबई में संपत्तियां होने का आरोप गढ़ा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान असम चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और गौरव गोगोई ने शर्मा की पत्नी की या उनके परिवार की दुबई में संपत्ति होने, अमेरिका के व्योमिंग में कंपनियां होने या मुखौटा कंपनियों में संपत्ति होने का आरोप लगाया था। इसके एक दिन बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कहा कि ये आरोप चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए लगाए गए हैं, जो कानून के तहत दंडनीय है। भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनकी पत्नी के खिलाफ जो दस्तावेज इस्तेमाल किए, वे पाकिस्तानीज इन अनजान नाम के एक सोशल मीडिया समूह से लिए गए थे और उनकी तस्वीर को किसी पाकिस्तानी व्यक्ति के खोए हुए पासपोर्ट पर छेड़छाड़ कर लगाया गया था। शर्मा ने कहा, ये आरोप पूरी तरह निराधार है, मनगढ़ंत दस्तावेजों पर आधारित हैं और राज्य में चुनावी माहौल को खराब करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से लगाए गए हैं। उन्होंने कहा, मुझे चिंता है कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद ली। यह कोई साधारण धोखाधड़ी का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्र के खिलाफ अपराध है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान का पहलू स्पष्ट हो गया है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच करते समय इसे ध्यान में रखेंगी। शर्मा ने दावा किया कि पाकिस्तान असम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और वहां टेलीविजन पर कम से कम 11 टॉक शो का सामान्य मत यह था कि कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पत्नी ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि पुलिस मामला दर्ज करेगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी। शर्मा ने कहा कि चुनाव से पहले ऐसे आरोप लगाना नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश है, जो अपराध है और कानून के तहत दंडनीय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई इतने नीचे गिर सकते हैं और उनकी पत्नी के खिलाफ ऐसे झूठे आरोप लगा सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रविवार को आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और एंटीगुआ-बारबुडा के तीन पासपोर्ट है, दुबई में दो संपत्तियां है और उनकी पूंजी मुखौटा कंपनियों में लगी है। आरोपों का खंडन करते हुए शर्मा ने दावा किया कि कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय लेनदेन वाले क्रेडिट कार्ड के जरिए किसी वेबसाइट पर जाकर अमेरिका के व्योमिंग राज्य में कंपनी बना सकता है। उन्होंने कहा, हमने भी गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के नाम पर एक कंपनी बनाई है, जो फर्जी है। I कि कांग्रेस ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया समूह से प्राप्त पासपोर्ट और दस्तावेजों में बदलाव कर उनमें उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा का विवरण डाल दिया, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां छोड़ दीं।

सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, 193 सांसदों ने किए थे हस्ताक्षर

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा के 193 सांसदों द्वारा लगाया महाभियोग का प्रस्ताव खारिज हो गया है। विपक्षी दलों की ओर से यह प्रस्ताव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए लाया गया था। महाभियोग प्रस्ताव के इस प्रस्ताव पर 193 सांसदों (लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63) ने हस्ताक्षर किए थे। उसका नोटिस 12 मार्च 2026 को राज्यसभा सभापति को सौंपा गया था। जिसके आज लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा चेयरमैन की ओर से खारिज कर दिया गया। यह पहली बार था, जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, यह फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत दिए गए प्रस्ताव की सूचना पर लिया गया। इस प्रस्ताव में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई थी। सदस्यों को जानकारी दी जाती है कि 12 मार्च 2026 की तारीख का एक प्रस्ताव नोटिस दिया गया था। उन्होंने कहा, इस पर लोकसभा के 130 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यह नोटिस संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ 2023 के कानून और 1968 के न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के तहत दिया गया था। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश को हटाने की मांग की गई थी। इसमें आगे कहा गया, यह नोटिस लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा गया था। इसके बाद इस प्रस्ताव नोटिस पर पूरी तरह से विचार किया गया। सभी जरूरी पहलुओं और मुद्दों की सावधानी से और निष्पक्ष तरीके से जांच की गई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो अधिकार उन्हें न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 के तहत मिले हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए सांसदों द्वारा दिए गए प्रस्ताव (नोटिस) को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, 12 मार्च 2026 को राज्यसभा के 63 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव का नोटिस दिया गया था। यह नोटिस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) और अनुच्छेद 124(4) के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11(2) तथा न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत दिया गया था। इस प्रस्ताव के जरिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी। राज्यसभा सभापति ने नोटिस पर विचार करने के बाद और सभी संबंधित पहलुओं व मुद्दों का सावधानीपूर्वक तथा निष्पक्ष आकलन करने के उपरांत इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सभापति ने यह निर्णय जजेज (इंक्वायरी) एक्ट, 1968 की धारा 3 के तहत उन्हें प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया। इस फैसले के साथ ही ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग से जुड़ी यह प्रक्रिया फिलहाल समाप्त हो गई है।

दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक : पुलिस ने कार की बरामद, हिरासत में ड्राइवर

■ परिसर में एक गुलदस्ता रखकर भागा नकाबपोश

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में अचानक यूपी नंबर की एक अज्ञात कार विधानसभा की सुरक्षा का घेरा तोड़कर अंदर चली गई मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। जबकि सेकेंड हैंड कार बेचने वाले रॉयल कार जोन के मालिक सोनू को हिरासत में लिया गया। पुलिस मामले की पूछताछ शुरू कर दी है।

यूपी नम्बर वाली निकली गाड़ी

अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नंबर वाली यह कार अपराह्न करीब 2 बजे गेट नंबर 2 से विधानसभा परिसर में दाखिल हुई। दिल्ली सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया, कार चालक विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और ड्योढ़ी (पोर्च) के पास फूलों का गुलदस्ता रखकर वापस चला गया।

सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता

उन्होंने कहा कि इस घटना से सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई है और अधिकारी इसे संभावित सुरक्षा चूक मान रहे हैं। यह घटना हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के बाद हुई है।

दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

विधानसभा की सुरक्षा में चूक के मामले में दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश नंबर की एक कार ने गेट नंबर 2 से जबरन घुसी, जिससे लोहे का गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और बरामदे के पास फूलों का एक गुलदस्ता भी रख गया।

सरकार का रवैया कोरोना महामारी जैसा, राहुल गांधी ने एलपीजी संकट को लेकर केंद्र पर साधा निशाना

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में तनाव चल रहा है। अब इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी गैस संकट से उसी तरह निपटा है, जैसे उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटा था। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि वह नीति से रहित, केवल बड़ी-बड़ी घोषणाओं से भरा है। इसका पूरा बोझ गरीबों पर डाल दिया है।

नीति का अभाव- राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने सवाल उठाया कि हर संकट में सबसे पहले गरीब ही क्यों मरते हैं? वहीं, लोगों से चुप न रहने का आग्रह किया। राहुल गांधी ने एक्स के एक पोस्ट में कहा, मोदी जी ने कहा था हम एलपीजी गैस संकट को उसी तरह संभालेंगे जैसे हमने कोविड को संभाला था। और वास्तव में, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बिल्कुल कोविड की तरह - नीति का अभाव, बड़ी-बड़ी घोषणाओं से भरा हुआ, और सारा बोझ गरीबों पर डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 500-800 रुपये की मजदूरी कमाने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए खाना पकाने की गैस पूरी तरह से महंगी हो गई है। उन्होंने कहा कि रात में घर लौट रहे एक मजदूर के पास चूल्हा जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते।

मजदूर टूटने की कगार पर- राहुल गांधी

उन्होंने आरोप लगाया कि परिणाम क्या हुआ? शहर छोड़कर गांव भाग जाना। कपड़ा मिलों और कारखानों की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले मजदूर आज खुद टूटने की कगार पर हैं। उन्होंने आगे कहा, वस्त्र क्षेत्र पहले से ही आईसीयू में है। विनिर्माण क्षेत्र सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। और इस संकट की जड़ कहां है? उस कूटनीतिक चूक से - जो वार्ता की मेज पर हुई - जिसे सरकार आज तक स्वीकार करने से इनकार करती है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जब अहंकार नीति बन जाता है, तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, मजदूर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, उद्योग बर्बाद हो जाते हैं और पूरा देश दशकों पीछे चला जाता है। उन्होंने आगे कहा, एक ही सवाल बाकी है, हर संकट में सबसे पहले गरीब ही क्यों मरते हैं? चुप मत रहो। यह सिर्फ गरीबों का सवाल नहीं है, यह हम सभी का सवाल है।

असम में कांग्रेस को हराकर बीजेपी- एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएंगे- पीएम नरेन्द्र मोदी

बरपेटा। पीएम मोदी आज असम के बरपेटा में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने वहां की जनता को विश्वास दिलाया है कि भाजपा-एनडीए को जीत की हैट्रिक लगाएगी और कांग्रेस की हार का एक नया रिकॉर्ड भी बनाएगी। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट (राष्ट्र प्रथम) के मंत्र के साथ काम करती है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बैठे शाही परिवार के नामदारों की हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड इस बार असम के लोग ही बनवाएंगे। कांग्रेस कभी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच नहीं जाती, जबकि हम साफ नीयत के साथ पाई-पाई का हिसाब देते हैं। पीएम मोदी ने असम के भविष्य को लेकर अपना विजन साझा करते हुए कहा कि पिछला दशक राज्य को डर, अस्थिरता और भ्रष्टाचार से बाहर निकालने के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य असम में राज्य के संसाधनों का सही उपयोग कर विकास की गति तेज करना और यहां की सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को विश्व पटल पर ले जाना है।

कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का विजन हमेशा छोटा रहा है क्योंकि उनका पूरा ध्यान शॉर्ट-टर्म फायदे और करप्शन पर केंद्रित था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार का हर वोट विकसित असम और विकसित भारत की नींव को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।

जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा

बिलासपुर । 2003 के चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील स्वीकार कर ली। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह माह के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। हाईकोर्ट का यह निर्णय 31 मई 2007 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट देता है। उस समय स्पेशल जज रायपुर ने अमित जोगी को बरी कर दिया था। हालांकि, चिमन सिंह, याह्या ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी सहित अन्य 28 आरोपियों को सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक ही गवाही पर कुछ आरोपियों को दोषी ठहराना और मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना कानूनी रूप से असंगत और गलत है। यह फैसला 2003 के चर्चित हत्याकांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को दोबारा खोला गया था। इसके बाद ही हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर को नहीं राहत- सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

नई दिल्ली । उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। मामले में उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई टाल दी है। अब अदालत मई के पहले सप्ताह में इस पर विचार करेगी। यह सुनवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की उस याचिका पर होनी थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने स्पष्ट किया कि अभी नौ न्यायाधीशों की बेंच सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही है। यह काम पूरा होने के बाद ही इस केस को सुना जाएगा। सेंगर के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भी 10 साल की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि सेंगर लगभग 10 साल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़िता के वकील जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहे हैं। हालांकि, पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने इन आरोपों को गलत बताया। इस मामले में सबसे बड़ा विवाद लोक सेवक (पब्लिक सर्वेंट) की परिभाषा को लेकर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2025 को अपने आदेश में कहा था कि सेंगर को पॉक्सो कानून के तहत सजा मिली है, लेकिन एक विधायक भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 21 के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता। उच्च न्यायालय ने यह भी तर्क दिया था कि सेंगर सात साल और पांच महीने जेल में काट चुका है,

कभी तमंचों के लिए बदनाम रहा यूपी, अब बना 'ड्रोन शक्ति' का हब

लखनऊ। कभी अवैध हथियारों और 'तमंचों' के लिए बदनाम रहा उत्तर प्रदेश अब नई पहचान गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप हब के रूप में उभर रहा है। इसी बदलाव की मिसाल राजधानी लखनऊ में देखने को मिली, जहां एक प्राइवेट स्टार्टअप ने अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक विकसित की है। यह दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ के विजन और नीतियों का असर जमीन पर दिख रहा है, जहां कभी अपराध की पहचान थी, वहीं अब डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का नया युग आकार ले रहा है। तीन युवा उद्यमियों - पवन, रविंद्र पाल सिंह और सौरभ सिंह द्वारा स्थापित कंपनी डेवरिट ने दिव्यास्त्र एमके-1 नाम का एडवांस यूएवी तैयार किया है। यह ड्रोन आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, जो निगरानी के साथ-साथ सटीक हमले करने में सक्षम है। इस ड्रोन की प्रमुख खासियत इसकी 500 किलोमीटर की रेंज, लगभग 5 घंटे की उड़ान क्षमता और एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम है। यह 10,000 फीट तक उड़ सकता है और करीब 15 किलोग्राम तक पेलोड ले जाकर सटीक निशाना साध सकता है। लागत के मामले में भी यह बाजार के अन्य विकल्पों से काफी सस्ता बताया जा रहा है। स्टार्टअप के संस्थापकों का कहना है कि प्रदेश में बेहतर नीतियों और डिफेंस कॉरिडोर जैसी योजनाओं के चलते उन्हें तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला।

पश्चिम एशिया संकट - युद्धविराम के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 10 शर्तें; कहा- जंग का हो स्थायी अंत

तेहरान। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें सामने रखी हैं। ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के जरिये भेजा और साफ कहा कि वह अस्थायी युद्ध विराम नहीं, बल्कि युद्ध का स्थायी अंत चाहता है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। आईआरएनए के मुताबिक, ईरान ने 10 शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में क्षेत्रीय संघर्ष खत्म करना, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही का प्रोटोकॉल, प्रतिबंध हटाना और पुनर्निर्माण शामिल है।

ईरान की सेना ने क्या कहा?

इस बीच, ईरानी सेना ने कहा कि वह अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ तब तक जंग जारी रखेगा, जब तक राजनीतिक नेतृत्व उचित समझे। सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरामिनिया ने कहा, हम युद्ध को तब तक जारी रख सकते हैं, जब तक राजनीतिक नेतृत्व इसे सही मानता है। उन्होंने कहा कि इस जंग के बाद ऐसा स्तर हासिल करना जरूरी है, जिससे दुश्मन पछताए और भविष्य में फिर ऐसी स्थिति न बने।

उधर, इस्राइल ने आज फिर ईरानी गैस क्षेत्र पर फिर से हमला किया। साउथ पार्स दुनिया की सबसे बड़ी गैस क्षेत्र है और यह ईरान-कतर के बीच फैला हुआ है। इस्राइल ने हमले की पुष्टि की।

इसके बाद ईरान ने कहा कि संयंत्र में लगी आग को बुझाकर नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। फार्स मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस्राइली हमले का निशाना बने एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र में लगी आग पर काबू पा लिया गया है।

इससे पहले एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि असलूयेह में साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल संयंत्र से कई धमाकों की आवाजें सुनी गई थीं। जारी संघर्ष के बीच इस्राइल का गैस क्षेत्र में यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे 20 दिन पहले 18 मार्च को भी इस गैस क्षेत्र को निशाना बनाया गया था।हमले के बाद इस्राइली रक्षा मंत्री इस्राइल काट्ज ने दावा किया कि आईडीएफ के हमले से ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बंद हो गया है।

आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता ने पाक की गीदड़भभकी को लेकर पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप

बंगाल की जनता कोलकाता पर किसी की धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगी।

नई दिल्ली। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से कोलकाता पर हमले की हालिया धमकी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री इस गंभीर मुद्दे पर चुप क्यों हैं। ममता ने कहा कि चुनावी रैलियों में बंगाल को निशाना बनाने वाले प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील विषय पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। नदिया जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, आप चुनाव के दौरान बंगाल को निशाना बनाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान बंगाल पर हमले की बात करता है, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसी स्थिति में आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की रविवार की कूचबिहार रैली का हवाला देते हुए पूछा कि वहां उन्होंने इस खतरे का जिक्र क्यों नहीं किया। ममता बनर्जी ने कड़े तेवर अपनाते हुए कहा, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में यह क्यों नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस तरह हम देश के खिलाफ किसी भी चुनौती को चुपचाप सहन नहीं करते, उसी तरह हम कोलकाता या बंगाल को मिलने वाली किसी भी धमकी को चुपचाप सहन नहीं करेंगे। मालूम हो कि यह विवाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान के बाद शुरू हुआ है, जिसमें कहा गया था कि भारत की ओर से किसी भी दुस्साहस की स्थिति में इस्लामाबाद कोलकाता तक हमला करने की क्षमता रखता है। आसिफ ने सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए भारत को चेतावनी दी थी कि भविष्य में किसी भी सैन्य कार्रवाई का जवाब कोलकाता पर स्ट्राइक के रूप में दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने इन धमकियों को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार की कूटनीति और प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल की जनता अपनी सुरक्षा को लेकर सजग है और वह केंद्र की इस उदासीनता का जवाब आगामी चुनावों में देगी।

सत्ता में बने रहने के लिए एलडीएफ और भाजपा के बीच समझौता- प्रियंका गांधी

तिरुवनंतपुरम । कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को केरल के कन्नूर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ ने भाजपा के साथ समझौता कर लिया है। प्रियंका ने कहा कि एलडीएफ 10 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए अपनी विचारधारा और जिम्मेदारी से समझौता कर रहे है।

वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी ने पेरावूर में कहा कि एलडीएफ ने उस भाजपा से समझौता किया है जो अल्पसंख्यकों को परेशान करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ईसाई समुदाय और उनकी नन को परेशान करती है, फिर भी एलडीएफ उनके साथ है। प्रियंका ने सबरीमाला में हुई चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। उनके अनुसार, यह चुप्पी दोनों पार्टियों के बीच समझौते का बड़ा सबूत है। प्रियंका गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसे सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के मुकदमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के खिलाफ ऐसा एक भी मामला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार, उसके मंत्रियों और नेताओं में अहंकार आ गया है। उनमें जनता के प्रति जवाबदेही और जिम्मेदारी की भावना अब खत्म हो गई है।